तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	की तामील में जारी
1/1/19	वकील फरीकैन उप0/ पुकार कराए गये। अपील बाबत रिकार्ड तलब बजरिए तहसीलदार सपोटरा को स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दि0 5/2/19 को पेश हो।	
5/2/19	वकील फरीकैन उप0/ पुकार कराया। दिनांक 12/3/19 को पेश हो।	
12/3/19	वकील फरीकैन उप0/ तहसीलदार सपोटरा को अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली तलब किये जाने हेतु स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दि0 26/3/19 को पेश हो।	जारी 1257 / 16/3/19
26/3/19	वकील फरीकैन उप0/ पुकार कराए। दिनांक 16/4/19 को पेश हो।	
16/4/19	वकील फरीकैन उप0/ तहसीलदार सपोटरा से अधीनस्थ न्यायालय तलब हुआ। बहस अन्तिम पक्षकार के अधिवक्तागण की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि0 24/4/19 को पेश हो।	
24/4/19	वकील फरीकैन उप0/ अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। नकल नियमानुसार दी जावे।	2162 / 10/6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
03 / 16	अपील नामा0	08.09.16	24.04.2019

1. सुरजन पिसरान अम्बालाल जाति मीना निवासी खिरखिड़ी तहसील सपोटरा
2. मानसिंह जिला करौली राजस्थान।

–अपीलॉण्ट्स

बनाम

1. रामकिशोर 2. चौथीलाल 3. लालजी 4. रामप्रसाद पिसरान गोली जाति मीना निवासी भरतून तह0 सपोटरा जिला करौली राज0 5. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भरतून तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। 6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील नाराजगी विरूद्ध ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भरतून नामान्तरकरण सं0 951 दिनांक 07.12.2001 के बाबत्।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलॉण्ट्स के पिता अम्बालाल पुत्र भोरया जाति मीना निवासी खिरखिड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली की खातेदारी की आराजीयात खसरा नं0 1254 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 1267/3 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 1541/5 रकबा 64 बीघा कुल किता 3 जुमला रकबा 72 बीघा 10 बिस्वा वाके मोजा भरतून मे शामलाती खातेदारी की है। अपीलॉण्ट्स के पिता ने उक्त आराजीयात मे से दिनांक 30.05.2000 को जरिये विक्रय पत्र रेसपोडेन्ट सं0 1 ता 4 के पक्ष मे कराया था तथा अपीलॉण्ट्स के पिता ने खसरा नं0 1254, 1567/3 मे अपना हिस्सा 3/24 मे से 2/24 आराजी को एवं खसरा नं0 1541/5 मे से अपना हिस्सा 3/24 मे से हिस्सा 1/48 आराजी का रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के पक्ष मे वयनामा कराया जो कि सही एवं सत्य है। जबकि नामा0 951 मे रेस्पो0 नं0 5 ने उक्त वयनामा की अनदेखी करते हुए गलत हिस्सा 2/24 का नामा0 अमल करते हुए तस्दीक कर दिया गया जो कि गलत है। अपीलाण्ट्स के पिता के आराजी का वयनामा के मुताबिक नामान्तरकरण नही खोला गया है। नामान्तरकरण के कॉलम सं0 9 गलत होने के कारण उक्त नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। रेस्पो0 सं0 5 ने वयनामा की स्पष्ट जांच नही की है, ना ही वयनामा के मुताबिक नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अपीलॉण्ट्स नामान्तरकरण मे दर्ज गलत हिस्सा 2/24 को खारिज कराने के अधिकारी है तथा मुताबिक वयनामा हिस्सा खोले जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इसलिए नामान्तरकरण सं0 951 दिनांक 07.12.2001 खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जरिये नोटिस की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3, 5 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। रेस्पो0 सं0 4 ने जरिये वकील वकालतनामा पेश कर अपनी उपस्थिति दी। रेस्पोडेंट सं0 6 का प्रकरण मे राज्य हित प्रभावित नही होने के कारण कोई जवाब अपेक्षित नही है। तहसीलदार सपोटरा से अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध वयनामा की प्रमाणित प्रति मे आराजी खसरा नं0 1254 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 1267/3 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा के हिस्सा 3/24 का हिस्सा 2/3 अर्थात हिस्सा 2/24 तथा आराजी खसरा नं0 1541/5 रकबा 64 बीघा के हिस्सा 3/24 मे से हिस्सा 1/6 अर्थात हिस्सा 1/48 का बेचान रेस्पोडेंट्स सं0 1 ता 4 को किया गया है

Scanned by CamScanner

जिसका स्पष्ट अंकन रजिस्टर्ड बयनामा मे अंकन है। जबकि रेस्पोडेंट सं0 5 द्वारा फैसल नामान्तरकरण सं0 951 दिनांक 7.12.2001 ग्राम भरतून की असल प्रति मे आराजी खसरा सं0 1254, 1267/3 का हिस्सा 2/24 तो सही दर्ज कर दिया लेकिन खसरा नं0 1541/5 का बेचान किया गया हिस्सा 1/48 के स्थान पर हिस्सा 2/24 गलत दर्ज कर दिया गया जो कि सही नही है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 951 दिनांक 7.12.2001 खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलॉण्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 951 दिनांक 7.12.2001 ग्राम भरतून खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सपोटरा को आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड बयनामा मे दर्ज हिस्से अनुसार नामान्तरकरण पुनः दर्ज कर नियमानुसार फैसल किया जावे। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.04.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया। अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तहसीलदार सपोटरा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner